# न्यूज़ टुडे

## पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के खिलाफ चिंताएं प्रकट की गईं

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) एक ऐसा तंत्र है, जिसका उद्देश्य **स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा** देना है। इसके परिणामस्वरूप, ग्रीन क्रेडिट्स प्रदान किए जाते हैं। साथ ही, इसके तहत **निम्नीकृत भूमि की सूची** भी तैयार की जाती है, जिसका उपयोग **वनारोपण कार्यक्रमों** के लिए किया जा सकता है।

- इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, GCP को **कानूनी जांच और पर्यावरणीय आलोचनाओं का सामना करना पड़** रहा है।

### ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम

**प्रस्तुत किया गया:** प्रधान मंत्री द्वारा COP-28 के दौरान दिसंबर 2023 में

**उद्देश्य:** पर्यावरण अनुकूल कार्रवाई को प्रोत्साहित करना और मिशन LiFE पहल का समर्थन करना

**मुख्य विशेषताएं:**

- **सात** प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं, जैसे वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, आदि।
- क्रेडिट्स का घरेलू प्लेटफॉर्म पर **व्यापार (ट्रेड)** किया जा सकता है।
- इनका **प्रतिपूरक वनीकरण और विनियामकीय अनिवार्यताओं को पूरा** करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- कंपनियां अपनी **पर्यावरणीय, सामाजिक व गवर्नेंस (ESG) रिपोर्टिंग** में क्रेडिट्स को शामिल कर सकती हैं।

**प्रशासनिक निकाय:** भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE), देहरादून

**पात्रता:** प्रत्येक चयनित भूखंड का आकार कम-से-कम पांच हेक्टेयर होना चाहिए।

**ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) से संबंधित आलोचना और विवाद**

- **कानूनी आधार का अभाव:** इसे **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत बनाया गया है। इस अधिनियम में **प्रतिपूरक वनारोपण** के लिए व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट्स के संबंध में कोई **कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान नहीं** किया गया है।
- **पर्यावरण संबंधी आलोचना**
  - **वनों की कटाई को बढ़ावा:** कंपनियां **वृक्षारोपण की बजाये ग्रीन क्रेडिट्स खरीद** सकती हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण पर असर पड़ सकता है।
  - **निम्नीकृत भूमि से संबंधित जोखिम:** GCP **खुले जंगलों, झाड़ियों और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा** देता है, जबकि ये पहले से ही **विशिष्ट पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान** करते हैं।
  - **वन क्षेत्र में कोई वास्तविक वृद्धि न होना:** प्रतिपूरक वनारोपण के तहत **गैर-वन्य भूमि को वनों** में रूपांतरित करना अनिवार्य होता है। GCP के तहत **मौजूदा निम्नीकृत वन भूमि** का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि **वन क्षेत्र में कोई निवल वृद्धि नहीं** होती है।
    - **यह वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के विपरीत है,** जो भूमि के बदले भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण को अनिवार्य बनाता है।
  - **मूल्यांकन और दीर्घकालिक संधारणीयता:** GCP पद्धति में सफल वृक्षारोपण विशेष रूप से वृक्षों के बचे रहने के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंडों का अभाव है। इसके कारण असफल वृक्षारोपण के लिए भी ग्रीन क्रेडिट्स अर्जित करने का अवसर मिल जाता है।

## भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (IA-ECTA) पर हस्ताक्षर को तीन वर्ष पूरे हुए

इस समझौते पर **2022 में हस्ताक्षर** करने और इसके लागू होने के बाद, **2023-24** में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **24 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच** गया था। इसमें भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला निर्यात **2022-23 की तुलना में 14% बढ़ा है।**

- IA-ECTA एक **रणनीतिक आर्थिक समझौता** है। इसका उद्देश्य **भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं** को सहने में दोनों देशों को सक्षम बनाना है।

**भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (IA-ECTA) की मुख्य विशेषताएं**

- **टैरिफ उन्मूलन:** ECTA के तहत **भारत को निर्यात की गई 96% ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की गई 85% भारतीय वस्तुओं पर से टैरिफ हटा** दिया गया है।
- **रूल्स ऑफ ओरिजिन:** किसी अन्य देश की वस्तुओं को ECTA के अंतर्गत प्राथमिकता मिलने से रोकने के लिए **सख्त रूल्स ऑफ ओरिजिन नियम सुनिश्चित** किए गए हैं।
- **सेवाओं में व्यापार:** इसके तहत **ऑस्ट्रेलिया द्वारा 135 उप-क्षेत्रक और भारत द्वारा 103 उप-क्षेत्रक** खोले गए हैं।
- **व्यापार संबंधी उपाय:** अचानक आयात संबंधी वृद्धि से बचाव के लिए **सुरक्षा तंत्र** स्थापित किए गए हैं।
- **विवाद समाधान:** पहले कदम के रूप में **परामर्श और वार्ता** की जाती है। यदि समाधान नहीं मिलता, तो **तीन सदस्यीय आर्बिट्रल पैनल** का गठन किया जाता है।
  - **प्रत्येक देश** एक सदस्य नियुक्त करता है, तथा पारस्परिक रूप से सहमत व्यक्ति पैनल का अध्यक्ष होता है।

**भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (IA-ECTA) का महत्त्व**

- **द्विपक्षीय व्यापार:** इसका उद्देश्य 2021 में 31 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में **40-50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना** है।
- **भारत का निर्यात:** 2021 के 10.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर **2026-27 तक 20 बिलियन डॉलर और 2035 तक 35 बिलियन डॉलर** से अधिक होने की उम्मीद है।
- **व्यापक आर्थिक सहयोग (AI-CECA):** AI-ECTA वस्तुतः AI-CECA का पूर्ववर्ती है। AI-CECA आर्थिक संबंधों को वस्तुओं और सेवाओं से आगे बढ़ाकर **बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल व्यापार** आदि को भी कवर करेगा।

**भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों में मुद्दे**

- **व्यापार और बाजार पहुंच:** इसमें दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर लंबी वार्ता, गैर-व्यापार बाधाएं जैसे सैनिटरी एवं फाइटो-सैनिटरी मानक तथा तकनीकी बाधाएं शामिल हैं।
- ऑस्ट्रेलिया में **फार्मास्यूटिकल (विशेष रूप से जेनेरिक दवाओं में) मूल्य निर्धारण नियंत्रण** भारतीय उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है।

# लोक सभा ने वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

लोक सभा ने **मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024** को भी मंजूरी प्रदान की। इसने **मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923** को निरस्त कर दिया है।

**वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर**

- **मुख्य उद्देश्य:** वक्फ परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, हितधारकों का सशक्तीकरण, कुशल सर्वेक्षण प्रभावी बनाना आदि।
- **वक्फ बनाने की शर्तें:** केवल **कानूनी रूप से संपत्ति के मालिक** को वक्फ बनाने का अधिकार होगा।
  - **वक्फ-अल-औलाद** बनाने से **उत्तराधिकारियों (विशेष रूप से महिला उत्तराधिकारियों) के अधिकारों का हनन नहीं** होगा।
- **अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण:** सभी वक्फों को **छह माह के भीतर ऑनलाइन पोर्टल** पर परिसंपत्ति का विवरण दर्ज कराना होगा। वक्फ अधिकरण इस अवधि को बढ़ा सकता है।
- **वक्फ की गलत घोषणा:** सरकारी संपत्ति को **वक्फ संपत्ति नहीं** माना जाएगा।
  - यदि कोई विवाद उठता है कि कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं, तो **राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच** करेगा और **अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार** को सौंपेगा।
- **अभिलेखों का निरीक्षण:** यह कार्य **"भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 75"** के तहत किया जाएगा।
- **सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण:** यह **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** या भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के परामर्श से भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा।
- **केंद्रीय वक्फ परिषद:** केंद्र सरकार में **वक्फ मामलों के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष** होंगे। परिषद को वक्फ बोर्डों को निर्देश जारी करने और स्वप्रेरित कार्रवाई करने की शक्ति होगी।
  - नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्यों में **संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश** आदि शामिल होंगे।

**वक्फ के बारे में**

- **वक्फ एक प्रकार की धर्मार्थ संपत्ति है,** जिसमें कोई व्यक्ति **धार्मिक या सामाजिक कल्याण** जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल आदि बनाने के लिए अपनी संपत्ति दान करता है।
- **इतिहास:**
  - **वक्फ एक अरबी शब्द है,** जिसका उल्लेख **हदीस (इस्लामिक परंपराओं) में मिलता है।**
  - **8वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में,** वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन **प्रांतीय और जिला अधिकारियों, जैसे सदर-ए-सूबा और सदर-ए-सरकार** द्वारा किया जाता था, लेकिन **अंतिम नियंत्रण केंद्रीय शासन** के पास होता था।
  - **आधुनिक वक्फ की अवधारणा** इस्लाम के दूसरे खलीफा **हजरत उमर** के समय अस्तित्व में आई थी।

# सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष की लंबे समय तक निष्क्रियता की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा **दल-बदल याचिकाओं के संबंध में निर्णय देने में देरी से संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के सार्थक उद्देश्य** विफल हो सकते हैं।

- **सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानूनी प्रश्न:** क्या कोर्ट अर्ध-न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष को दल-बदल विरोधी याचिकाओं पर एक तय समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है?

**सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां**

- **अध्यक्ष द्वारा निर्णय न देने के मामले में कोर्ट की शक्ति:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अध्यक्ष दल-बदल याचिकाओं पर **"अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है"** तो कोर्ट उस पर निर्णय देने में सक्षम है।
- **उचित समय-सीमा निर्धारित करने का कोर्ट का अधिकार:** यद्यपि कोर्ट दल-बदल याचिकाओं के परिणाम निर्धारित नहीं कर सकती, फिर भी कोर्ट अध्यक्ष को उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकती है।
  - **उदाहरण के लिए- केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य वाद (2020)।**
- **यदि अध्यक्ष कार्यवाही करने में विफल** रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के **अनुच्छेद 142** के तहत अपनी **असाधारण शक्तियों** का प्रयोग कर सकता है।

**दल-बदल विरोधी कानून के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई अन्य टिप्पणियां**

- **अध्यक्ष के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा:** यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है, तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए **(किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु वाद 1992)।**
- **अध्यक्ष की निष्पक्षता:** अध्यक्ष को एक राजनीतिक व्यक्ति की बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए **(रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ वाद 1994)।**
- **दल-बदल संबंधी मामलों के लिए स्वतंत्र अधिकरण:** इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए **(कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता से संबंधित वाद 2020)।**

## दल-बदल विरोधी कानून

**पृष्ठभूमि:**
इसे **52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में **दसवीं अनुसूची** को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना था।

**उद्देश्य:**
इसे विधायिकाओं में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, ताकि सदस्य द्वारा अपने दल को मनमाने तरीके से छोड़ कर किसी और दल में शामिल होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

**सदस्य के लिए अयोग्य ठहराए जाने के आधार:**
- दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना
- सदन में मतदान के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना

**अध्यक्ष/ सभापति की भूमिका:**
- ये अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
- अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेते हैं।
- अयोग्यता संबंधी प्रक्रिया में अंतिम निर्णायक होते हैं।

## केंद्र सरकार के अनुसार, 30,000 से ज़्यादा भारतीय माता-पिता बालक गोद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (WCD) ने राज्य सभा में जानकारी दी कि कुल 62,592 बच्चे बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) में रह रहे हैं। इन संस्थानों में ओपन शेल्टर, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, ऑब्जर्वेशन होम आदि शामिल हैं।

**भारत में बालक गोद लेने की प्रक्रिया**

- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **प्राथमिक कानून:** भारत में गोद लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** द्वारा संचालित है। इस कानून का उद्देश्य जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है उन **बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं कल्याण सुनिश्चित** करना है।
- **केंद्रीय नोडल एजेंसी:** किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** प्रमुख नोडल एजेंसी है। यह **घरेलू और अंतर्देशीय गोद लेने की प्रक्रिया** को नियंत्रित करती है। CARA **हेग कन्वेंशन के दिशा-निर्देशों** को लागू करने का भी काम करता है।
  - **बालकों के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993):** यह बाल तस्करी पर रोक लगाता है तथा नैतिक, कानूनी एवं पारदर्शी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को आसान बनाता है।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी:** राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से **किशोर न्याय अधिनियम को लागू करते हैं:**
  - राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां (SARAs);
  - स्थानीय बाल कल्याण समितियां; तथा
  - जिला बाल संरक्षण इकाइयां (DCPUs)।

**भारत में बालक गोद लेने में चुनौतियां:**

- **प्रशासनिक देरी:** भारत में गोद लेने की **औसत प्रतीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक** है।
- **आयु/ क्षमता पूर्वाग्रह:** बड़े बच्चों और दिव्यांग बच्चों को गोद लेने की दर कम है।
- **पूर्वाग्रह और अत्यधिक सामाजिक हेय भावना:** अधिकांश भारतीय माता-पिता दत्तक ग्रहण (गोद लेने) से झिझकते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका बच्चा "उनके जीन, रक्त और वंश परंपरा" से संबंधित हो।

**भारत में गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदम:**

- **कानूनी सुधार: किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन नियम, 2022** के तहत **जिला मजिस्ट्रेट (DM)** को गोद लेने से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार दिए गए हैं।
- **CARINGS पोर्टल: गोद लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी** बनाई गई है। इसे **CARINGS पोर्टल** के माध्यम से संचालित किया जाता है।
- **मिशन वात्सल्य योजना:** यह योजना **बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) में रहने वाले बच्चों** को समर्थन प्रदान करती है।

## अन्य सुर्ख़ियां

### आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025

हाल ही में, संसद ने **आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025** पारित किया।

**विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर**

- **उद्देश्य:** आप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, और आप्रवासन प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।
- **इस विधेयक द्वारा निम्नलिखित अधिनियम निरस्त किए गए हैं:**
  - पासपोर्ट अधिनियम, 1920;
  - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939;
  - विदेशी विषयक, 1946; तथा
  - आप्रवासन (वाहकों की देयता) अधिनियम, 2000.
- **आप्रवासन विनियमन: आप्रवासन ब्यूरो** गठित किया जाएगा। इसे वीज़ा जारी करने और विदेशियों के प्रवेश-निकास नियमों की निगरानी करने का कार्य सौंपा जाएगा।
- **दंड:** बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को **अधिकतम पांच वर्ष की कैद, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों** का प्रावधान किया गया है।
- **गिरफ्तार करने का अधिकार:** हेड कांस्टेबल या उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं।

**नोट:** विधेयक के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया 12 मार्च, 2025 की न्यूज़ टुडे पढ़िए।

### हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप सहित कई अमेरिकी व्यापार भागीदारों के लिए **पारस्परिक 10% टैरिफ की घोषणा** की।

- राष्ट्रपति ने **2 अप्रैल को "मुक्ति दिवस"** की संज्ञा दी और इसे **"अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक"** घोषित किया।

**हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीपों के बारे में**

- हर्ड द्वीप और मैकडोनाल्ड द्वीप **दक्षिणी महासागर में निर्जन उप-अंटार्कटिक द्वीप** हैं। यहां कोई **स्थायी मानव आबादी नहीं** रहती है।
- इन द्वीपों को **ऑस्ट्रेलिया प्रशासित** करता है।
- ये दक्षिणी महासागर के **एकमात्र सक्रिय उप-अंटार्कटिक ज्वालामुखीय द्वीप** हैं। ये पृथ्वी की भूगर्भीय प्रक्रियाओं और हिमनदों की गतिशीलता को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।
- ये द्वीप **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची** में शामिल हैं।

### आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में महिलाओं की भूमिका

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने **'भारत में कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन महिलाओं और बच्चों को कैसे प्रभावित करता है'** शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया।

- अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आपदाओं पर मजबूत नीतियां बनाने के लिए जेंडर-आधारित डेटा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

**आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में महिलाओं की भूमिका**

- **आपदा मित्र योजना के तहत आपदा सखी के रूप में प्रशिक्षित:** आपदा मित्र योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित **1 लाख स्वयंसेवकों में 20% महिलाएं शामिल हैं।**
- **अहमदाबाद में SEWA का हीट माइक्रो-इंश्योरेंस प्रोग्राम:** यह अत्यधिक गर्मी की वजह से हुई आय की क्षति की भरपाई करके अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्यरत महिला श्रमिकों को हीटवेव के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है।
- **ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) में जेंडर सेल:** यह आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं से संबंधित जेंडर-आधारित डेटा एकत्र करता है।

### फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI)

संयुक्त **फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI)** को भारत के **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा **वित्त वर्ष 2022-23 के डेटा** का उपयोग करके तैयार किया गया है।

**फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 के बारे में**

- यह **नीति आयोग** की एक पहल है।
- **उद्देश्य:** मानकीकृत मीट्रिक (संकेतकों) के आधार पर भारत के राज्यों की वित्तीय स्थिति का **तुलनात्मक विश्लेषण** करना।
- **कवरेज:** इस सूचकांक में भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान, जनसंख्या में हिस्सेदारी, कुल सार्वजनिक व्यय तथा राजस्व और समग्र वित्तीय स्थिरता के आधार पर **18 प्रमुख राज्यों को शामिल** किया गया है।
- **मुख्य उप-सूचकांक (या संकेतक):**
  - व्यय की गुणवत्ता;
  - राजस्व संग्रहण;
  - वित्तीय अनुशासन;
  - ऋण सूचकांक; और
  - ऋण चुकाने की क्षमता।
- **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य: ओडिशा** इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद **छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात** का स्थान है।

## भारत ने इस्पात खरीद नीति को सख्त किया

हाल ही में संशोधित 'घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद नीति-2025' जारी की गई है।

- यह नीति **सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद में देश में विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता** देगी।

**संशोधित नीति के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**

- **इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - सरकारी अनुबंधों में देश में निर्मित इस्पात को प्राथमिकता देना,
  - व्यापार प्रतिबंधों से निपटने के लिए **रेसिप्रोकल क्लॉज** लागू करना, और
  - पूंजीगत वस्तुओं में देश में **मूल्य-संवर्धन (वैल्यू एडिशन)** को अनिवार्य बनाना।
- **नीति के तहत प्रतिबंध:**
  - 200 करोड़ रुपये मूल्य तक के इस्पात की खरीद से संबंधित अनुबंधों में **ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी** (विदेशी कंपनियों के भाग लेने) पर रोक।
    - हालांकि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से विदेशी कंपनियों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।
- **देश में मूल्य संवर्धन:** भट्टियों (furnaces) और रोलिंग मिल्स जैसी पूंजीगत वस्तुओं में देश में कम-से-कम **50% मूल्य संवर्धन अनिवार्य** किया गया है।

## देवराय प्रथम

हाल ही में, **देवराय प्रथम के राज्याभिषेक** को दर्शाने वाली दुर्लभ **ताम्र-पट्टिकाओं का बेंगलुरु में अनावरण** किया गया।

- **विजयनगर साम्राज्य** से संबंधित ये ताम्र-पट्टिकाएं **संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं तथा नागरी लिपि** में उत्कीर्ण हैं।

**देवराय प्रथम (1406-1422) के बारे में**

- वे विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले **संगम वंश (1336-1485) के शासक** थे।
- **निर्माण:** उन्होंने **तुंगभद्रा नदी पर एक बांध** का निर्माण करवाया था। इससे विजयनगर के नगरों और गांवों के लिए **नहर द्वारा सिंचाई** संभव हो सकी थी।
- **विजयनगर का गौरव और विदेशी यात्रियों के विवरण:**
  - **1420 ई. में इतालवी यात्री निकोलो डी कोंटी ने विजयनगर का दौरा** किया था।
  - निकोलो डी कोंटी ने **विजयनगर की राजधानी की सुंदरता, भव्य स्थापत्यकला और समृद्धि की प्रशंसा** की है।

## सेंटिनलीज

एक अमेरिकी नागरिक को **उत्तर सेंटिनल द्वीप** के प्रतिबंधित जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

- सेंटिनल द्वीप, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा** है। यह द्वीप **सेंटिनल लोगों (एक नेग्रिटो जनजाति)** का घर है। यह दुनिया की **अंतिम संपर्क रहित जनजातियों में से एक** है।

**सेंटिनलीज के बारे में**

- यह जनजाति **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)** के रूप में वर्गीकृत है।
  - **ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे और शोम्पेन** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अन्य PVTGs हैं।
- केंद्र ने इन जनजातियों के **पारंपरिक क्षेत्रों को आरक्षित घोषित** करने के लिए **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956** लागू किया है।
  - इसने **अधिकृत लोगों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध** लगा दिया।
  - जनजाति के सदस्यों की **फोटो लेना या फिल्मांकन** करना अपराध है।

## राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (NPSP)

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **नई संक्रामक बीमारियों पर नजर रखने के लिए 'राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना'** (NPSP) का उपयोग करने की संभावना जताई है।

**राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (NPSP) के बारे में**

- यह **भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के बीच सहयोग पर आधारित एक पहल है।
- यह परियोजना **1997 में शुरू** की गई थी। इसने **एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस (AFP)** पर नजर रखने के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की है। इससे पोलियो के संभावित मामलों का पता लगाने मदद मिलती है।
- **महत्त्व:** यह परियोजना **पोलियो टीकाकरण अभियानों की योजना बनाने और निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाती रही है। इससे पूरे देश में टीकाकरण का उच्च कवरेज सुनिश्चित हुआ है।
  - **भारत को 2014 में पोलियो-मुक्त घोषित** किया गया था।
- 2025 में, NPSP द्वारा पोलियो निगरानी को **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC)** में एकीकृत कर दिया गया है।
  - NCDC, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) का एक घटक है।

# सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

## छत्रपति शिवाजी महाराज

छत्रपति शिवाजी महाराज की **345वीं पुण्यतिथि (3 अप्रैल)** पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

- शिवाजी महाराज का **निधन 3 अप्रैल, 1680 को रायगढ़ किले** में हुआ था।

**शिवाजी महाराज के बारे में**

- **शिवाजी का जन्म 1630 में पूना के शिवनेर किले** में हुआ था।
- वे **पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक** थे।
- 1674 में, उन्होंने **रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक** करवाया था। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे **'राज्याभिषेक युग'** कहा जाता है।
- उन्होंने **आठ मंत्रियों की एक परिषद 'अष्टप्रधान'** का गठन किया था।
- उन्होंने **1654 में कल्याण के पास मराठा नौसेना बल** की स्थापना की थी तथा पश्चिमी तटरेखा पर कई किलेबंद नौसैनिक अड्डे बनवाए थे।
- उन्होंने **गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित** की थी और 1659 में **अफजल खान** को पराजित किया था।